

DECLARATION–CUM–UNDERTAKING (AFFIDAVIT)

(To be submitted on Non-Judicial Stamp Paper duly attested by Notary Public/First Class Magistrate)

I, _____, parent/guardian of _____, studying in Class _____ at St. Patrick's Junior College, Agra, do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That my daughter commutes to and from school by private transport (van/cab/auto/taxi) arranged by me at my own responsibility.
2. That I have ensured that the said vehicle is registered under the School Cab Scheme of the Motor Vehicles Act with the concerned Transport Department.
3. That the vehicle is equipped with all mandatory safety measures including speed governor, GPS/GPRS device, fire extinguisher, and first-aid box.
4. That I have verified the details of the vehicle owner and driver, including their residential address, valid driving license, police verification, and contact numbers.
5. That I understand the importance of maintaining records of children being transported and have ensured that the operator maintains such records.
6. That I undertake that my daughter, being below 18 years of age, will not drive any two-wheeler to school.
7. That I clearly understand that the school does not provide any transport facility and is not responsible for any private transport arrangement made by me.
8. That I shall be fully responsible for the safety and security of my daughter during transit to and from school.

I hereby declare that the above information is true and correct to the best of my knowledge and belief.

Place: _____

Date: _____

Signature of Parent/Guardian: _____

Name: _____

Address: _____

Contact No.: _____

Note: The above Affidavit needs to be submitted to the respective class teachers on Rs. 10/- Stamp paper.

घोषणा-पत्र / प्रतिज्ञा-पत्र (शपथ पत्र)

(नोटरी पब्लिक / प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाए)

मैं, _____, अपनी पुत्री _____ के अभिभावक,
जो सेंट पैट्रिक जूनियर कॉलेज, आगरा में कक्षा _____ में अध्ययनरत है, यह सत्यनिष्ठा से घोषणा एवं
प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि:

1. मेरी पुत्री विद्यालय आने-जाने के लिए मेरे द्वारा निजी रूप से व्यवस्थित वाहन (वैन/कैब/ऑटो/टैक्सी) का उपयोग करती है, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी मेरी है।
2. मैंने यह सुनिश्चित किया है कि उक्त वाहन मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत स्कूल कैब योजना के तहत संबंधित परिवहन विभाग में पंजीकृत है।
3. उक्त वाहन में सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरण जैसे स्पीड गवर्नर, जीपीएस/जीपीआरएस डिवाइस, अग्निशामक यंत्र एवं प्राथमिक उपचार बॉक्स उपलब्ध हैं।
4. मैंने वाहन मालिक एवं चालक का पूरा सत्यापन कर लिया है, जिसमें उनका पता, वैध ड्राइविंग लाइसेंस, पुलिस सत्यापन एवं संपर्क नंबर शामिल हैं।
5. मैंने यह भी सुनिश्चित किया है कि वाहन संचालक बच्चों का आवश्यक रिकॉर्ड संधारित करता है।
6. मैं यह वचन देता/देती हूँ कि मेरी पुत्री, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है, किसी भी परिस्थिति में दो-पहिया वाहन चलाकर विद्यालय नहीं आएगी।
7. मैं भली-भांति समझता/समझती हूँ कि विद्यालय कोई परिवहन सुविधा प्रदान नहीं करता तथा निजी परिवहन की संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।
8. विद्यालय आने-जाने के दौरान मेरी पुत्री की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सभी विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं।

स्थान: _____

दिनांक: _____

अभिभावक के हस्ताक्षर: _____

नाम: _____

पता: _____

संपर्क नंबर: _____

नोट: उपरोक्त शपथपत्र को ₹10/- के स्टाम्प पेपर पर संबंधित कक्षा अध्यापकों को जमा करना आवश्यक है।